

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
(जुलाई सत्र, 2024)

(01 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
श्रम	—”—		
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री	01.07.2024	21.06.2024
सहकारिता	—”—	08.07.2024	28.06.2024
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री	15.07.2024	08.07.2024
आयुष	—”—		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)	—”—		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)	राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
गृह	—”—		
जेल	—”—		
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	—”—		
जनसम्पर्क	—”—		
नर्मदा घाटी विकास	—”—		
विमानन	—”—		
खनिज साधन	—”—		
लोक सेवा प्रबंधन	—”—	02.07.2024	24.06.2024
प्रवासी भारतीय	—”—	09.07.2024	02.07.2024
विधि एवं विधायी कार्य	—”—	16.07.2024	09.07.2024
आनंद	—”—		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	—”—		
वित्त	उप मुख्यमंत्री, वित्त		
वाणिज्यिक कर	—”—		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	—”—		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री		
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
वर्ग-3			
*लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ✓		
राजस्व	राजस्व मंत्री		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	03.07.2024	25.06.2024
परिवहन	परिवहन मंत्री	10.07.2024	03.07.2024
स्कूल शिक्षा	—”—	18.07.2024	10.07.2024
संस्कृति	राज्य मंत्री, संस्कृति		
पर्यटन	—”—		
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	—”—		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-4			
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री		
संसदीय कार्य	—“—		
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	04.07.2024	26.06.2024
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	11.07.2024	04.07.2024
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	19.07.2024	11.07.2024
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	—“—		
वर्ग-5			
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री		
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	—“—		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	—“—		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री	05.07.2024	27.06.2024
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	—“—	12.07.2024	05.07.2024
वन	वन मंत्री		
पर्यावरण	—“—		
अनुसूचित जाति कल्याण	—“—		
पशुपालन एवं डेयरी	राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी		
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास		

भोपाल :
दिनांक : 30.05.2024

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट :-

1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे। साथ ही विभागों से अपेक्षा है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर विभागों के प्रभारी माननीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् ही विधान सभा सचिवालय में ऑनलाईन प्रेषित किये जायें।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे प्रश्नों को मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 18 (5) के प्रावधान अंतर्गत "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है" टीप अंकित कर प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है, तो उसकी भी ऑनलाईन स्वच्छ / पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर में पुस्तकालय परिशिष्ट उल्लेख कर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही अनिवार्य रूप से विधान सभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) भेजी जायें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।
7. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 30, दिनांक 12 फरवरी, 2024 के द्वारा "चिकित्सा शिक्षा विभाग" का लोप कर "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग" किया गया है।

पृष्ठा-1 अ 7622/2024

भोपाल, दिनांक 29.05.2024

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (3) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
- (4) मध्यप्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.